उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-1
संख्या-10/390/26-1-2014-4(6)/2012
लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2014
कार्यालय-ज्ञाप

श्री संजय शर्मा, प्रवक्ता, यांत्रिक अभियंत्रण, राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ द्वारा शिक्षण संस्थान के पत्रों/पत्रावलियों की गोपनीयता को अपनी पत्नी को बताकर उन्हीं पत्रों/पत्रावलियों के संबंध में अपनी पत्नी के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर संस्थान में कार्यरत कार्मिकों के सेवा संबंधी एवं व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप/ब्लैकमेल व भयाक्रान्त करने, महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित होकर संस्थान की महिला कामिकों के विरूद्ध अश्लील व आपत्तिजनक टिप्पणियॉ करने, ई-मेल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे पत्राचार करने, संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने, शासकीय अभिलेखों से छेड़छाड़ एवं संस्थान में गुटबन्दी कर शिक्षण कार्य को प्रभावित करने जैसी अन्य अनेक गंभीर शिकायतों की जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से प्रकरण की जॉच करायी गयी।

2- जिलाधिकारी, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्रांक-374/ओ0एस0डी0/2012, दिनांक 28-05-2012 द्वारा प्रकरण की अपर उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर लखनऊ से जॉच कराकर जॉच आख्या दिनांक 25-08-2012 शासन को उपलब्ध करायी गयी। जॉच आख्या में श्री संजय शर्मा के विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं/कदाचरण की पुष्टि होने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1828/26-1-2012, दिनांक 14-06-2012 द्वारा श्री संजय शर्मा, प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण, राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत, पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी थी तथा प्रकरण में पत्र संख्या-1828(2)/26-1-2012-4(6)/2012, दिनांक 14-06-2012 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किया गया। अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण (मुख्यालय) को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

3- श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण (मुख्यालय)/जॉच अधिकारी के पत्र दिनांक 18-06-2012 के पत्र में उल्लिखित अनुरोध के दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-1959/26-1-2012-4(6)/2012, दिनांक 31-08-2012 द्वारा श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण (मुख्यालय) के स्थान पर श्री एन0एच0 रिजवी, तत्कालीन उपसचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी के पत्रांक- 07/उप/जॉच/2012, दिनांक 20-09-2012 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से अपचारी प्रवक्ता, श्री संजय शर्मा को आरोप पत्र एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराते हुए यह अपेक्षा की गयी कि आरोपों के संबंध में लिखित उत्तर 01 माह के अन्दर उपलब्ध कराये। तत्क्रम में प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत, पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक- 1124-स0क0/पाली/2012-13, दिनांक 05-08-2012 द्वारा यह सूचित किया गया कि मूलरूप में आरोप पत्र एवं जिलाधिकारी, लखनऊ का पत्र दिनांक 26-01-2012 एवं 28-05-2012 अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा को कार्यालय पत्रांक-1112-14, दिनांक 04-10-2012 को प्राप्त करा दिया गया है। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 25-02-2013 में यह उल्लिखित है कि श्री संजय शर्मा द्वारा आरोप पत्र का उत्तर न देकर अपने पत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 29-10-2012 द्वारा अभिलेखीय साक्ष्यों की क्रमांकित एवं सारणीबद्ध विवरण मॉगा गया, जिसके क्रम में जॉच अधिकारी के पत्र संख्या-76/स0क0/जॉच/2012, दिनांक 10-01-2013 द्वारा वॉछित अभिलेखों का क्रमांकित एवं सारणीयबद्ध विवरण निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से श्री संजय शर्मा को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि वह अपना लिखित उत्तर विलम्बतम् 15 दिन के अन्दर जॉच अधिकारी को उपलब्ध कराये। श्री संजय शर्मा को उक्त अभिलेख दिनांक 28-01-2013 को उनके आवास एफ-2286, राजाजीपुरम्, लखनऊ पर उपलब्ध कराया गया, किन्तु इसके बावजूद भी जॉच आख्या प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 25-02-2013 तक न श्री शर्मा द्वारा कोई लिखित उत्तर प्रेषित किया गया और न ही उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय देने का ही अनुरोध किया गया है, तदुपरान्त पर्याप्त समय व्यतीत होने के बाद जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या दिनांक 25-02-2013 शासन को प्रस्तुत की गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या संक्षिप्त रूप में निम्नवत् है:-

1. आरोप संख्या-1, जो कि अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा पर राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ में अपना प्रभुत्व बनाये रखने के उद्देश्य से संस्थान की महिला कार्मिक के साथ अशोभनीय बर्ताव किये जाने, महिला कार्मिकों के संबंध में अश्लील टीका-टिप्पणी करने, महिलाओं के सामने दोअर्थी भाषा का प्रयोग किये जाने, संस्थान की महिला प्रवक्ता श्रीमती श्रद्धा सक्सेना के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सूचनाएं अपनी पत्नी के माध्यम से मॉगकर उनका नाम अपने साथ जोड़ने एवं श्रीमती सक्सेना की सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने तथा उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री संजय शर्मा की पत्नी श्रीमती उर्वशी शर्मा के पत्र दिनांक 15-09-2011 एवं प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत, पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ के पत्र दिनांक 31-01-2012, जो कि प्रश्नगत आरोप के साक्ष्य के रूप में दर्षित है, के परिशीलन में यह पाया गया कि श्रीमती श्रद्धा सक्सेना, प्रवक्ता अंग्रेजी द्वारा दूसरी शादी श्री देवेन्द्र शुक्ला से की गयी है। श्रीमती श्रद्धा सक्सेना के पूर्व पति से सम्बन्ध विच्छेद होने आदि के संबंध में प्रधानाचार्य से सूचनाएं मॉगी गयी है। मॉगी गयी सूचना श्रीमती श्रद्धा सक्सेना के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। प्रधानाचार्य के उक्त पत्र दिनांक 31-01-2012 में भी यह उल्लेख है कि अपचारी अधिकारी श्री संजय शर्मा की पत्नी श्रीमती उर्वशी शर्मा आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राय: संस्था के पत्रांकों का उल्लेख करते हुए सूचनाएं मॉगी जाती है। संस्थान के पत्रांकों की सटीक जानकारी अपचारी प्रवक्ता द्वारा ही अपनी पत्नी को दी जाती है। उक्त के अतिरिक्त अपचारी प्रवक्ता स्वयं अपनी पत्नी के माध्यम से संस्था के अन्य कर्मियों के सेवा संबंधी एवं व्यक्तिगत जीवन के संबंध में सूचनाएं मॉगकर संस्थान के कार्मिकों को भयाक्रान्त व भयादोहन करने की पुष्टि होती है। संस्थान में केवल 02 महिला प्रवक्ता कार्यरत हैं। श्रीमती श्रद्धा सक्सेना के विरूद्ध अपचारी प्रवक्ता द्वारा की जा रही टीका-टिप्पणियों का विरोध करने पर संस्थान की दूसरी महिला प्रवक्ता श्रीमती अंजू कुमारी सिंह के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने संबंधी तथ्यों की पुष्टि हुई है। इससे स्पष्ट है कि श्री शर्मा की मानसिकता महिला विरोधी है। **इस प्रकार आरोप संख्या-1 अपचारी प्रवक्ता पर सिद्ध होता है।**
2. आरोप संख्या-2, जो कि अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा पर उक्त संस्थान की महिला प्रवक्ता श्रीमती श्रद्धा सक्सेना के संबंध में एक अनार सौ बीमार, नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी कहावत

http://shasanadesh.up.nic.in

कहकर उनके चरित्र हनन का प्रयास करने, नौकरी जाने का भय दिखाकर भयादोहन करने तथा संस्थान के अन्य कार्मिकों के शासकीय/व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सूचनाएं/शासकीय अभिलेखों से ज्ञात कर इनसे संबंधित पत्रों/पत्रावलियों के संबंध में अपनी पत्नी जो एक राजनैतिक दल से जुड़ी है एवं उसके लेटर पैड के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर कार्मिकों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप एवं भयादोहन करने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि साक्ष्यों के रूप में प्रेषित पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपचारी अधिकारी श्री संजय शर्मा की पत्नी श्रीमती उर्वशी शर्मा द्वारा दिनांक 14-12-2007 को कतिपय सूचनाएं मॉगी गयी थी। सूचनाएं प्राप्त न होने पर श्रीमती शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार टास्क फोर्स आडिट टीम उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी नेहरू भवन, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ के पैड पर दिनांक 15-02-2008 को अपीलीय पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 31-01-2012 में भी यह उल्लेख है कि अपचारी प्रवक्ता की पत्नी कार्यालय के पत्रांकों का उल्लेख करते हुए सूचनाएं मॉगती है। कार्यालय के पत्रांकों की सटीक जानकारी श्रीमती शर्मा को कहॉ से प्राप्त होती है, निश्चित रूप से यह जानकारी अपचारी प्रवक्ता द्वारा अपनी पत्नी को उपलब्ध करायी जाती है, इससे अपचारी प्रवक्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होती है। जहॉ तक मोबाइल कैमरे से कार्यालय अभिलेखों का छायाचित्र खींचने का बिन्दु है, इस संबंध में जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-05-2012 द्वारा जो जॉच आख्या प्रेषित की गयी है, वह आवश्यक गोपनीय पूँछताछ, स्थलीय जॉच उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन एवं विश्लेषणोपरान्त दी गयी है, जिसमें अपचारी प्रवक्ता द्वारा स्वयं अपनी पत्नी के माध्यम से संस्थान के कार्मिकों के सेवा संबंधी एवं व्यक्तिगत जीवन के संबंध में सूचनाएं मॉगकर संस्थान में अपना प्रभुत्व बनाये रखने एवं कार्मिकों को भयाक्रान्त व ब्लैकमेल करने की पुष्टि हुई है। **अत: आरोप संख्या-2 अपचारी प्रवक्ता पर सिद्ध होता है।**

3. आरोप संख्या-3, जो कि अपचारी अधिकारी श्री संजय शर्मा पर महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित होकर संस्थान की महिला कार्मिक श्रीमती श्रद्धा सक्सेना प्रवक्ता, अंग्रेजी के विरूद्ध अश्लील व आपत्तिजनक टिप्पणियॉ करने, दोअर्थी भाषा का प्रयोग करने, इस विषय में तत्कालीन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रधानाचार्य की उपस्थिति में श्री शर्मा को दी गयी मौखिक चेतावनी को अनदेखा करते हुए पुन: महिला कार्मिकों के प्रति अशोभनीय आचरण किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 30-01-2012 से यह स्पष्ट होता है कि संस्थान में कार्यरत महिला कार्मिकों के साथ अपचारी प्रवक्ता का बर्ताव अशोभनीय रहा है। महिला कार्मिकों से लगातार शिकायतें प्राप्त होती रही है कि अपचारी प्रवक्ता उन पर अश्लील टीका-टिप्पणी करते है तथा दोअर्थी भाषा का प्रयोग करते है। इस संबंध में श्री संजय शर्मा द्वारा दिनांक 23-06-2011 को थानाध्यक्ष काकोरी जनपद लखनऊ को जो पत्र लिखा गया है, उसमें उनके द्वारा जाने अनजाने में कहे गये कथन जो श्रीमती सक्सेना को टीका टिप्पणी लगी हो, भविष्य में श्रीमती सक्सेना के सामने अथवा अनुपस्थिति में इस प्रकार के कथन/टीका-टिप्पणी न किये जाने का उल्लेख किया है। उक्त के अतिरिक्त अपचारी प्रवक्ता ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि श्रीमती सक्सेना के विरूद्ध उनकी अनुपस्थिति में भी वह उनके संबंध में कोई बात नहीं करेगा और इस कथन का पूर्णत: अनुपालन करेगा। उक्त के पश्चात प्रधानाचार्य की

http://shasanadesh.up.nic.in

उपस्थिति में तत्कालीन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अपचारी प्रवक्ता को इस प्रकार के कृत्य के पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी भी दी गयी, किन्तु उनके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। इस संबंध में जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-05-2012 द्वारा प्राप्त अपर उपजिलाधिकारी, सदर लखनऊ की जॉच आख्या में भी आरोपों की पुष्टि हुई है। **इस प्रकार अपचारी प्रवक्ता पर लगाया गया आरोप संख्या-3 सिद्ध होता है।**

4. आरोप संख्या-4, जो कि अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा की टीका-टिप्पणीयों से परेशान होकर श्रीमती श्रद्धा सक्सेना प्रवक्ता अंग्रेजी द्वारा थाना काकोरी जनपद- लखनऊ में दर्ज करायी गयी शिकायत एवं तद्नुक्रम में थानाध्यक्ष काकोरी द्वारा दोनों पक्षों को बुलाये जाने, थानाध्यक्ष के सामने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपचारी प्रवक्ता श्री शर्मा द्वारा मॉफीनामा दिये जाने व इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न करने व लिखित मॉफीनामा में उल्लिखित तथ्यों का मन/बचन/कर्म से पूर्णतया अनुपालन करने व इनका अनुपालन न होने की दशा में स्वयं उत्तरदायी होने का आश्वासन देने के बावजूद उसके कार्य एवं आचरण में कोई सुधार न होने से संबंधित है। उक्त आरोप के संबंध में जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया है कि प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 31-01-2012 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा विगत 02 वर्षो के पर्यवेक्षण में यह पाया गया कि श्री संजय शर्मा अपचारी प्रवक्ता का बर्ताव महिला कार्मिकों के साथ अशोभनीय रहा है। श्री शर्मा के विरूद्ध महिला कार्मिकों से लगातार शिकायतें प्राप्त होती रही है। श्री शर्मा महिला कार्मिकों पर अश्लील टीका-टिप्पणी करते है तथा उनके सामने दोअर्थी भाषा का प्रयोग करते है। थानाध्यक्ष काकोरी जनपद लखनऊ के समक्ष दिनांक 23-06-2011 को दिये गये मॉफीनामा में उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति दुबारा न करने का आश्वासन दिया गया था। श्री बलविन्दर कुमार, तत्कालीन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर प्रधानाचार्य के समक्ष इस आशय की चेतावनी भी दी गयी इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न की जाय, किन्तु अपचारी प्रवक्ता के कार्य एवं आचरण में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 28-05-2012 जो स्थलीय जॉच, जो आवश्यक गोपनीय पूँछताछ उभयपक्षो के शिकायती पत्रों, प्रस्तुत गवाहों के बयान तथा अभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सम्यक् अनुशीलन एवं विश्लेषणोपरान्त दी गयी है, उसमें यह निष्कर्ष अंकित किया है कि अपचारी प्रवक्ता द्वारा श्रीमती श्रद्धा सक्सेना के विरूद्ध अश्लील व आपत्तिजनक टिप्पणियॉ की जाती रही है। थानाध्यक्ष काकोरी- लखनऊ के समक्ष अपनी लिखित रूप से गलती स्वीकार करते हुए मॉफीनामा देने व प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को दिये गये आश्वासन के बाद भी उनके द्वारा अपनी कथनी पर अंकुश न लगाने का तथ्य पाया गया है। **इस प्रकार आरोप संख्या-4 अपचारी प्रवक्ता पर सिद्ध होता है।**

5. आरोप संख्या-5 जो कि अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा द्वारा शासन एवं निदेशालय समाज कल्याण तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रेषित उसके पत्र दिनांक 23-06-2011 में श्रीमती श्रद्धा सक्सेना को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसके विरूद्ध नितान्त असत्य आरोप लगाने का उल्लेख करते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जॉच कराने की मॉग करने, श्री शर्मा द्वारा दिनांक 23-06-2011 को थानाध्यक्ष काकोरी, लखनऊ को लिखे गये पत्र में उनके द्वारा श्रीमती सक्सेना के विरूद्ध किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी न किये जाने की स्वीकारोक्ति के बावजूद दिनांक 23-06-2011 को श्रीमती सक्सेना

http://shasanadesh.up.nic.in

के विरूद्ध शिकायती पत्र प्रेषित करते हुए पूर्व की भॉति अश्लील टीका-टिप्पणी करना निरन्तर जारी रखने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया है कि प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ के पत्र दिनांक 31-01-2012 में यह उल्लिखित है कि प्रधानाचार्य द्वारा विगत 02 वर्षो के पर्यवेक्षण में यह पाया गया कि श्री शर्मा का कार्य स्थल पर महिला कार्मिकों के साथ बर्ताव अशोभनीय रहा है। महिला कार्मिकों से लगातार शिकायतें प्राप्त होती रही है कि श्री शर्मा महिला कार्मिकों पर अश्लील टीका-टिप्पणी करते है तथा उनके सामने दोअर्थी भाषा का प्रयोग करते है। इस संबंध में थानाध्यक्ष काकोरी को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 23-06-2011 में श्री संजय शर्मा ने यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा जाने अनजाने में कहे गये कथन जो श्रीमती सक्सेना को टीका-टिप्पणी लगे हो, उनके द्वारा भविष्य में श्रीमती श्रद्धा सक्सेना की अनुपस्थिति व उपस्थिति में किसी भी प्रकार के कथन/टीका-टिप्पणी नहीं की जायेगी और न ही उनके पीछे उनके संबंध में कोई वार्ता की जायेगी। श्री शर्मा ने इसी पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि भविष्य में उनके द्वारा उपरोक्त कथन का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा। उक्त का अनुपालन न होने पर वह उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 31-01-2012 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि श्री बलविन्दर कुमार, तत्कालीन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उनकी उपस्थिति में अपचारी कार्मिक को चेतावनी भी दी गयी, किन्तु उनके कार्य आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक संख्या-सी-3-02, दिनांक 06-07-2011 द्वारा श्री शर्मा को चेतावनी भी दी गयी। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-05-2012 द्वारा प्रेषित अपर उपजिलाधिकारी, सदर लखनऊ की जॉच आख्या में भी श्री शर्मा द्वारा श्रीमती श्रद्धा सक्सेना के विरूद्ध अश्लील व आपत्तिजनक टीका-टिप्पणी किये जाने और थानाध्यक्ष, काकोरी, जनपद लखनऊ को लिखित रूप में अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा देने इत्यादि की स्वीकारोक्ति किये जाने की पुष्टि हुई है। **अत: उक्त आरोप के संबंध में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं गोपनीय पूछताछ दोनों पक्षों के शिकायती पत्रों, प्रस्तुत गवाहों के बयान के सम्यक् परिशीलनोपरान्त आरोप संख्या-5 आरोपी प्रवक्ता के विरूद्ध सिद्ध होता है।**

6. आरोप संख्या-6 जो कि अपचारी प्रवक्ता श्री शर्मा पर शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति की कार्यरत महिला प्रवक्ता श्रीमती अंजू कुमारी सिंह के विरूद्ध जातीय टिप्पणियॉ करना एवं इस संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा अपचारी प्रवक्ता से स्पष्टीकरण मॉगे जाने पर उसके द्वारा प्रधानाचार्य को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए लालफीताशाही, भोड़ा जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्रधानाचार्य, पालीटेक्निक के पत्र दिनांक 31-01-2012 में यह उल्लेख है कि श्रीमती अंजू कुमारी सिंह, प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अनुसूचित जाति से है। अपचारी प्रवक्ता द्वारा श्रीमती सिह के प्रति जातीय टिप्पणियॉ की गयी। इस संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा स्पष्टीकरण मॉगने पर अपचारी प्रवक्ता द्वारा प्रधानाचार्य को जो स्पष्टीकरण दिया गया, उसमें असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए प्रधानाचार्य को घोर पूर्वाग्रही बताते हुए लिखा गया कि प्रधानाचार्य द्वारा आत्मरक्षा के लिए महिलाओं व अनुसूचित जाति के प्रति उसे पूर्वाग्रही होना अभिलिखित कर अपने दुर्भावना का भोड़ा प्रदर्शन मात्र किया है। श्री शर्मा ने अपने स्पष्टीकरण में प्रधानाचार्य के लिए लालफीताशाही, भोड़ा जैसे असंसदीय एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग

http://shasanadesh.up.nic.in

किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार के कृत्य के लिए अपचारी प्रवक्ता को पूर्व में भी निलम्बित किया गया था, इसकी पुष्टि बहाली ओदश दिनांक 26-12-2008 से भी होती है। इस संबंध में जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र दिनांक 28-05-2012 के माध्यम से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि गोपनीय पूछताछ के आधार पर अपचारी प्रवक्ता द्वारा छात्रों से असमानता का व्यवहार किये जाने एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना सिद्ध पाया गया है। **इस प्रकार अपचारी प्रवक्ता पर आरोप संख्या-6 सिद्ध होता है।**

7. आरोप संख्या-7 जो कि अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा पर प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य अधिकारियों को डाक व ई-मेल के माध्यम से सीधे पत्राचार किये जाने तथा पत्र की प्रतिलिपि संस्था की बेवसाइट पर भेजकर यह मान लेना कि पत्राचार का यही उचित माध्यम है, तत्कालीन प्रधानाचार्य के निजी ई-मेल पर भी पत्राचार करने तथा अधिकांश पत्र संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों से संबंधित होने, जिसमें शासन/संस्थान की विभिन्न पत्रों/पत्रावलियों का विवरण उल्लिखित करने, किसी अन्य कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावलियों के संदर्भ अंकित कर उनके संबंध में आधारहीन शिकायतें प्रेषित कर शासन एवं प्रशासन के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने का प्रयास किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में यह उल्लेख है कि प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 31-01-2012 में यह उल्लिखित है कि श्री संजय शर्मा में यह प्रवृत्ति देखी गयी है कि वह अपने अधिकारियों के संज्ञान में लाये बिना उच्चस्तरीय अधिकारियों/शासन/प्रशासन को सीधे ई-मेल के माध्यम से पत्राचार करते हैं तथा पत्र की प्रतिलिपि संस्था के बेवसाइट पर भेजकर यह मान लेते है कि पत्राचार का यही उचित माध्यम है, जबकि श्री शर्मा इस तथ्य से भली-भॉति अवगत है कि यह बेवसाइट लगभग 02 वर्षो से धन के अभाव के कारण अपडेट नहीं है। श्री शर्मा प्रधानाचार्य के निजी ई-मेल पर प्राय: पत्राचार करते हुए और बहुत ही चालाकी से संस्था की बेवसाइट पर प्रतिलिपि भेजते हुए सचिव/प्रमुख सचिव एवं प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को ई-मेल द्वारा पत्राचार किया गया है। श्री शर्मा के अधिकांश पत्र संस्थान की महिला कार्मिक श्रीमती श्रद्धा सक्सेना प्रवक्ता अंग्रेजी, श्रीमती अंजू कुमारी सिंह, प्रवक्ता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विरूद्ध निरर्थक शिकायतों से संबंधित होते है। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-05-2012 के माध्यम से प्राप्त जॉच आख्या में भी अपचारी प्रवक्ता को प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग व अन्य अधिकारियों को ई-मेल से सीधे पत्राचार किये जाने का दोषी पाया है। **इस प्रकार अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अपचारी प्रवक्ता के विरूद्ध लगाया गया आरोप संख्या-7 सिद्ध होता है।**

8. आरोप संख्या-8 जो कि अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा पर अपने मोबाइल कैमरे से कार्यालय अभिलेखों का छायाचित्र खींचने, कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पत्रांकों की सटीक जानकारी अपनी पत्नी को देकर पत्नी के माध्यम से शासन/प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर शिक्षण संस्थान एवं शासन की विभिन्न पत्रावलियों के पत्रांक/संदर्भो का उल्लेख किये जाने, शासकीय कार्यालय के पत्रों की सटीक जानकारी पत्नी को देने तथा इन्हीं पत्रों/पत्रावलियों के संबंध में अपनी पत्नी द्वारा आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को भय दिखाकर ब्लैकमेल किये जाने, गोपनीयता भंग करने व ई-मेल के माध्यम से शासन/प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे पत्राचार किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में यह उल्लेख है कि

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 31-01-2012 से यह स्पष्ट है कि अपचारी कार्मिक की पत्नी श्रीमती उर्वशी शर्मा आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट हैं और आर0टी0आई0 के माध्यम से शिक्षण संस्थान के पत्रांकों का उल्लेख करते हुए सूचनाएं मॉगी जाती है। प्रश्न यह है कि कार्यालय पत्रांकों की सटीक जानकारी श्रीमती उर्वशी शर्मा को कहां से प्राप्त होती है। निश्चित ही यह जानकारी श्री शर्मा द्वारा अपनी पत्नी को उपलब्ध करायी जाती है। प्रधानाचार्य के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री शर्मा अपने मोबाइल कैमरे से कार्यालय अभिलेखों की छायाचित्र प्राय: खींच लेते हैं, इस दृष्टि से श्री शर्मा की गतिविधियॉ संदिग्ध है। जहॉ तक शासन/प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीधे पत्राचार किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अपचारी प्रवक्ता का पत्र दिनांक 21-02-2012 साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है। इस पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह पत्र प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग को सम्बोधित है किन्तु द्वारा प्रधानाचार्य लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से संस्थान के कतिपय अन्य कार्मिकों को अनुमन्य कराये गये सेवा लाभ को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जॉच कराने तथा स्वयं को दिनांक 19-06-1995 से सेवा लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार यह आरोप केवल इस अंश तक सिद्ध होता है कि वह संस्था के पत्रों की सटीक जानकारी अपनी पत्नी को देते हैं और उनकी पत्नी इन्हीं पत्रों के विषय में आर0टी0आई0 के माध्यम से सूचनाएं मॉगती है। **इस प्रकार आरोप संख्या-8 अपचारी प्रवक्ता पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।**

9. आरोप संख्या-9 जोकि अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा पर बयान अंकित हो जाने के पश्चात जॉच को लम्बित रखने व जॉच की दिशा बदलने एवं जॉच अधिकारी को भ्रमित करने के उद्देश्य से पुन: शिकायती पत्र प्रेषित करने, शिक्षण संस्था में गुटबन्दी व शिक्षण कार्य को प्रभावित करने सहित अन्य कार्य से संस्थान की छवि धूमिल किये जाने व शिक्षण कार्य में रूचि न लेकर संस्थान में विभिन्न प्रकार की पेशबन्दी व शिकवा शिकायतों की गतिविधियों में संलिप्त रहने के साथ-साथ शासकीय समय में कम्प्यूटर व स्टेशनरी का दुरूपयोग किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में भी प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक द्वारा अपचारी प्रवक्ता की पठन-पाठन व अध्यापन कार्य में कोई रूचि न लेने, श्री शर्मा द्वारा अधिकांश समय शासन/प्रशासन के साथ नियम प्रतिकूल पत्राचार करने में लगे रहने की पुष्टि की गयी है। जॉच आख्या में यह उल्लिखित है कि प्रधानाचार्य को छात्रों द्वारा अवगत कराया गया कि अपचारी प्रवक्ता कक्षा लेने के नाम पर छात्रों को डांटकर भगा देते है और धमकी देते है कि यदि प्रधानाचार्य को बताया तो सैत्रिक अंक काट दिये जायेगे व प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-05-2012 के माध्यम से प्राप्त अपर उपजिलाधिकारी, सदर लखनऊ की जॉच आख्या में भी अपचारी प्रवक्ता के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 04-06-2008 को तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री ए0के0 बाजपेयी ने उपस्थिति पंजिका पर लगाये गये क्रास पर हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी एवं अनुशासनहीनता तथा शासकीय अभिलेखों से छेड़छाड़ करने की पुष्टि करते हुए प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का उल्लेख है। अपर उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ की उक्त जॉच आख्या में समस्त अभिलेखों का यथावत् पढ़ लेने एवं बयान अंकित कराने के उपरान्त जॉच अधिकारी को पुन: पत्र प्रेषित कर शिकायती पत्र की प्रति मॉगना तथा अपने पक्ष में कर्मचारियों से हस्ताक्षर कराकर सामूहिक प्रपत्र अपनी पत्नी के माध्यम से

http://shasanadesh.upnic.in

पुन: डाक से प्रेषित करना जॉच को प्रभावित करने एवं जॉच अधिकारी को भ्रमित करने का कुत्सित कृत्य अपचारी प्रवक्ता द्वारा किया गया। **इस प्रकार साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपचारी प्रवक्ता पर लगाया गया आरोप संख्या-9 सिद्ध होता है।**

10. आरोप संख्या-10 जो कि अपचारी प्रवक्ता श्री शर्मा पर शिक्षण संस्थान में शिक्षण एवं अध्यापन कार्य में कोई रूचि न लेने, अधिकांश समय शासन प्रशासन को नियम विरूद्ध पत्राचार करने, कक्षा लेने के नाम पर छात्रों को डांटकर भगा देने तथा धमकी देने की यदि प्रधानाचार्य को बताया तो सैत्रिक अंक काट दिये जायेगे व प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिये जाने की धमकी देते हुए विकृत मानसिकता के तहत छात्रों के मध्य अशोभनीय व्यवहार/वार्तालाप किये जाने व पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न कर शिक्षण संस्थान की छवि धूमिल किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 31-01-2012 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपचारी प्रवक्ता की पठन-पाठन व अध्यापन में कोई रूचि नहीं है। अधिकांश समय शासन-प्रशासन से नियम विरूद्ध पत्राचार में लगे रहते है। छात्रों द्वारा भी अवगत कराया गया श्री शर्मा कक्षा लेने के नाम पर छात्रों को डांटकर भगा देते है तथा यह धमकी देते है कि यदि प्रधानाचार्य को बताया तो सैत्रिक अंक काट दिये जायेगे व प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-05-2012 के माध्यम से प्राप्त जॉच आख्या में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अपचारी प्रवक्ता के विरूद्ध पूर्व में भी तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थित पंजिका पर लगाये गये क्रास के ऊपर हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी करने, अनुशासनहीनता एवं शासकीय अभिलेखों में छेड़छाड़ करने के आदि होने का उल्लेख किया गया है। इसी जॉच आख्या में जॉच अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि शिकायती पत्रों के जॉच के समय विधिवत् पढ़ लेने, स्वयं का बयान अंकित कराने के उपरान्त भी जॉच अधिकारी को पत्र प्रेषित कर पुन: शिकायती पत्र की प्रति मॉगना तथा अपने पक्ष में कर्मचारियों से हस्ताक्षर कराकर सामूहिक प्रपत्र अपनी पत्नी के माध्यम से डाक द्वारा प्रेषित कर शिकायती पत्र की प्रति मॉगना उनकी विकृत मानसिकता एवं जॉच को प्रभावित करने वाला कार्य है। **इस प्रकार उक्त साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आरोप अपचारी प्रवक्ता पर लगाया गया आरोप संख्या-10 सिद्ध होता है।**

11. आरोप संख्या-11 जो कि अपचारी कार्मिक पर शिक्षण संस्थान में छात्रों से असमानता का व्यवहार किये जाने, छात्रों को जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से यह स्थिति प्रकाश में आयी कि प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 31-01-2012 में यह उल्लेख है कि विगत वर्षो में भी छात्रों द्वारा श्री शर्मा पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था तथा प्रधानाचार्य द्वारा भी इनके कार्य, व्यवहार तथा वार्तालाप में इस प्रकार का आचरण पाया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र दिनांक 28-05-2012 के माध्यम से प्राप्त अपर उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट में भी यह निष्कर्ष दिया गया है कि गोपनीय पूछताछ के आधार पर अपचारी प्रवक्ता द्वारा छात्रों से असमानता का व्यवहार करने एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना सिद्ध है। **इस प्रकार अभिलेखीय साक्ष्यों एवं गोपनीय पूछताछ के आधार पर अपचारी प्रवक्ता के ऊपर लगाया गया आरोप संख्या-11 सिद्ध होता है।**

http://shasanadesh.up.nic.in

12. आरोप संख्या-12 जो कि अपचारी प्रवक्ता पर अपने पद पर कार्य करते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशों के उल्लंघन एवं पद के अतिक्रमण की प्रवृत्ति पाये जाने, बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के दिनांक 13-10-2011 को संस्थान के कार्मिकों की आकस्मिक उपस्थिति लेने, प्रधानाचार्य द्वारा अपचारी प्रवक्ता के केबिन का दरवाजा खुलवाये जाने पर निरीक्षण में मेज में पठन-पाठन की सामग्री के स्थान पर अखबारों की कटिंग व ई-मेल की प्रतियॉ मिलने पर अपचारी प्रवक्ता की गतिविधियॉ संदिग्ध पाये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 31-01-2012 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रधानाचार्य के आदेशों का उल्लंघन एवं पद के अतिक्रमण की प्रवृत्ति अपचारी प्रवक्ता में देखी गयी। उदाहरण स्वरूप अपचारी प्रवक्ता द्वारा दिनांक 13-10-2011 को संस्था में अपने हस्ताक्षर से कृते प्रधानाचार्य लिखकर संस्था के कार्मिकों की आकस्मिक उपस्थिति ली गयी। इस संबंध में दिनांक 17-10-2011 को स्पष्टीकरण मॉगे जाने पर दिये गये उत्तर दिनांक 08-11-2011 में मिथ्या कथन किया गया है कि आकस्मिक उपस्थिति हेतु दूरभाष पर प्रधानाचार्य के निर्देश ले लिये गये थे, जबकि प्रधानाचार्य द्वारा दूरभाष पर ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। प्रधानाचार्य ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि अपचारी प्रवक्ता के मेज पर कभी भी पठन-पाठन की सामग्री अथवा पुस्तक नहीं देखी गयी, बल्कि अखबारों की कटिंग, ई-मेल की प्रतियॉ पायी गयी, जिससे अपचारी प्रवक्ता की गतिविधियॉ संदिग्ध प्रतीत होती है। इस आरोप के संबंध में कोई ठोस एवं सुसंगत साक्ष्य प्रेषित नहीं किये गये है। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 28-05-2012 में भी इस संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है। **अत: साक्ष्यों के अभाव में उक्त आरोप संख्या-12 की पुष्टि नहीं होती है। अर्थात यह आरोप सिद्ध नहीं पाया गया।**

4- अतएव जॉच अधिकारी की उक्त जॉच आख्या दिनांक 25-02-2013 में अपचारी कार्मिक पर आरोप संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 एवं 11 पूर्णरूप से एवं आरोप संख्या-8 आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 25-02-2013 को शासन के पत्र दिनांक 19-03-2013 द्वारा अपचारी कार्मिक श्री संजय शर्मा को प्रेषित करते हुए 15 दिन के अन्दर आरोपों के संबंध में अभिकथन/अभ्यावेदन शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में श्री संजय शर्मा के पत्र दिनांक 15-04-2013 द्वारा अपना अभिकथन/अभ्यावेदन शासन को उपलब्ध कराया गया।

अतएव अपचारी कर्मी पर लगाये गये आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 25-02-2013, अपचारी कार्मिक का उत्तर/अभिकथन तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त अपचारी कार्मिक पर संस्थान की महिला कार्मिकों के साथ अशोभनीय बर्ताव एवं अश्लील टीका-टिप्पणी करने, महिलाओं के सामने दोअर्थी भाषा का प्रयोग किये जाने, संस्थान की महिला प्रवक्ता श्रीमती श्रद्धा सक्सेना के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सूचनाएं अपनी पत्नी के माध्यम से मॉगकर उनका नाम अपने साथ जोड़ने एवं श्रीमती सक्सेना की सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने तथा उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किये जाने, अपनी पत्नी के माध्यम से संस्था के अन्य कर्मियों के सेवा संबंधी एवं व्यक्तिगत जीवन के संबंध में सूचनाएं मॉगकर संस्थान के कार्मिकों को भयाक्रान्त करने, संस्थान में अनुसूचित जाति की कार्यरत एक अन्य महिला प्रवक्ता श्रीमती अंजू कुमारी सिंह के विरूद्ध जातीय टिप्पणियॉ करने तथा उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने, कार्यालय के पत्रांकों को अपने मोबाइल कैमरे से छायाचित्र खींचकर अपनी पत्नी के माध्यम से संस्थान के कार्मिकों के

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवा संबंधी एवं व्यक्तिगत जीवन के संबंध में सूचनाएं मॉगकर संस्थान में अपना प्रभुत्व बनाये रखने एवं कार्मिकों को भयाक्रान्त व भयादोहन करने की एवं इससे अपचारी प्रवक्ता की सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध होने, संस्थान में कार्यरत महिला कार्मिकों के विरूद्ध भविष्य में अश्लील टीका-टिप्पणी न किये जाने का आश्वासन देने के बावजूद भी पुनरावृत्ति जारी रखने, प्रधानाचार्य द्वारा अपचारी प्रवक्ता से स्पष्टीकरण मॉगे जाने पर उसके द्वारा प्रधानाचार्य को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए लालफीताशाही, भोड़ा जैसे असंसदीय/अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने, संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित कर अपमानित करने, शिक्षण कार्य में रूचि न लेने एवं पवित्र शिक्षण संस्थान में गुटबाजी कर शिक्षण कार्य का वातावरण प्रदूषित करने की पुष्टि होने पर अपचारी प्रवक्ता श्री संजय शर्मा, यांत्रिक प्रवक्ता (निलम्बित), राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ को सेवा से पृथक किये जाने का दण्ड प्रस्तावित करते हुए शासन के पत्र दिनांक 08-08-2013 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्रस्तावित दण्ड पर सहमति मॉगी गयी थी।

उक्त के क्रम में उपसचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक-24/6/एडीसी/एस-4/2013-14, दिनांक 30-09-2013 द्वारा अपचारी प्रवक्ता, श्री संजय शर्मा के विरूद्ध उपरोक्त प्रस्तावित दण्ड पर मा0 आयोग की सहमति शासन को उपलब्ध करायी गयी।

अतएव अपचारी कार्मिक श्री संजय शर्मा, प्रवक्ता, यांत्रिक अभियंत्रण (निलम्बित), राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ को उक्त कदाचार एवं अमर्यादित कृत्यों के लिए उन्हें सेवा से पृथक करते हुए उनके विरूद्ध अनुध्यात अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-10/390(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को आयोग के पत्रांक-24/6/एडीसी/एस-4/2013-14, दिनांक 30-09-2013 के संदर्भ में।
3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को श्री शर्मा को तामील कराते हुए सूचना शासन को उपलब्ध करायें।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल/व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in